न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 11/11 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2011/00057

उनवान

1. लालाराम } पिसरान हरिया जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. गंगाराम }

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती छोटी (मृतक)
2. घूरी पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. धर्मपाल (मृतक)
   - 3/1. सोनादेई वेवा धर्मपाल
   - 3/2. सोकिन } पुत्र धर्मपाल
   - 3/3. तोफा }
   - 3/4. सुखवीर }
   - 3/5. सुपीता } पुत्री धर्मपाल
   - 3/6. शकुन्तला }

   जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. किशन सिंह पुत्र परभाती जाति जाटव निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. मुस0 चमेली (मृतक)
   - 5/1. चेतू } पुत्र चमेली
   - 5/2. महेन्द्र }
   - 5/3. विजय }
   - 5/4. मनोज }
   - 5/5. शीला } पुत्री चमेली
   - 5/6. गुंजन }

   जाति जाटव निवासी खेडली गंज, जाटव मौहल्ला वार्ड नं0 05 स्टेशन के पास, पैट्रोल पम्प पथैना रोड खेडली गंज तहसील कठूमर जिला अलवर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई दि0 01.03.2011 मि.नं. 15/05 उनवानी परभाती बनाम हरिया।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोंडेंट श्री कुशल सिंह उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय दिनांक–07.12.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी में वादीगण रैस्पो0 के पिता एक बैल का हिस्सेदार व खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण अपीलाण्ट ने राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज करा रखे हैं। जबकि वादी रैस्पो0 संवत 2012 से ही विवादित आराजी में एक बैल का खातेदार काश्तकार है। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी रैस्पो0 को विवादित आराजी में एक बैल का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई आदेश दिनांक 31.01.1972 से खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध वादी रैस्पो0 ने अपील न्यायालय हाजा में की गयी, जो दिनांक 03.09.1976 को स्वीकार हुयी। न्यायालय हाजा के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाण्ट ने एक अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में की गयी। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों निर्णयो को निरस्त करते हुये, अपील पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित की गयी। माननीय न्यायालय मण्डल के निर्णय की पालना में प्रकरण में पुनः सुनवाई की जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रैस्पो0 का दावा दिनांक 03.12.1990 को खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी रैस्पो0 ने पुनः माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 04.09.1997 को खारिज कर दी गयी। उक्त आदेश के विरूद्ध वादी रैस्पो0 ने द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में की गयी। माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.04.2004 से उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.03.2011 से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए बहस में तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश व डिक्री कानून व रिकार्ड के खिलाफ हैं व काबिल

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 01 का निर्णय जो पारित किया गया है वह जमाबन्दी संवत 2009 जो मात्र एक वर्ष की जारी की गयी थी के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमें यह माना कि वादी रैस्पो0 का पिता संवत 2009 तक एक बैल का गैर मौरूसी है, संवत 2009 से पूर्व का कोई रिकार्ड वादी रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सवंत 2009 तक का रिकार्ड ना होने के बाबजूद भी अपने निर्णय में अंकित कर दिया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 में लागू हुआ उससे पूर्व जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रैस्पो0 के पिता को 1/2 बैल का गैर मौरूसी दर्ज है। रिकार्ड में संवत 2014 से 2017 की जमाबन्दी में नोट अंकित है। उसमें अलग स्याही से दो के ऊपर एक बढाया जाना साबित मानकर मसकूकी माना है और उस आधार पर वादी रैस्पो0 को एक बैल का अर्थात 1/4 हिस्से का खातेदार काबिज माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र जमाबन्दी संवत 2009 के आधार पर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी गलती की है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादी रैस्पो0 के पिता 1/2 बैल के गैर मौरूसी थे और 1/2 बैल के गैर मौरूसी अपीलाण्ट थे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने पर अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पिता 1/2–1/2 बैल के खातेदार कानूनन हो गये। यह है कि दिनांक 13.09.1961 को इन्तकाल नम्बर 90 से अपीलाण्ट व रैस्पो0 के पिता को खातेदार दर्ज किया गया। उक्त दाखिला खारिज संख्या 90 के विरूद्ध कोई अपील अथवा कोई आपत्ति वादी रैस्पो0 के पिता द्वारा कही नहीं की गयी भू राजस्व अधिनियम की धारा 140 के तहत जमाबन्दी की प्रविष्टियॉ ही सत्य मानी जावेगी, जब तक कि उनका साक्ष्य से खण्डन नहीं कर दिया जावें। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय में भी माननीय न्यायालय द्वारा वादी रैस्पो0 का किसी प्रकार का कोई हक नहीं माना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय कोई इन्द्राज रैस्पो0 के नाम विवादित आराजी के 1/4 हिस्से पर नहीं थे अर्थात संवत 2010 से लेकर आज तक कोई इन्द्राज जमाबन्दी अथवा खसरा गिरदावरी में रैस्पो0 के नाम नहीं रहे। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयासो एवं भावनाओ के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि सारे रिकार्ड में गरीब की कराह स्पष्ट सुनाई देती है। गरीब की हाय का समन व निवारण नहीं किया गया तो न्याय से लोगो का विश्वास उठ जावेगा। निर्बल को ना सताईये जाकी मोटी हाय मरे जीव की चाम सौ लौह भस्म हो जाय इस दोहा से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भावनात्मक रूप से पारित किया जाना सिद्ध होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री काबिल मंसूखी है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. विद्वान रैस्पो0 अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि अनुरूप है। माननीय राजस्व मण्डल ने रैस्पो0 के हक में प्रकरण रिमाण्ड किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर रैस्पो0 के हक में डिक्री किया है। संवत 2009 की जमाबन्दी में रैस्पो0 के पिता विवादित आराजी में एक बैल के गैर मौरूसी अंकित हैं। परन्तु उसे बाद में 1/2 गलत रूप से अंकन किया गया है। स्याही भी अलग है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भावनात्मक इसलिये है कि जमाबन्दी में जालसाजी एक गरीब किसान के खिलाफ एक बैल को काटकर 1/2 की गयी है। जमाबन्दी में फेरबदल स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 में लागू हुआ। उससे पूर्व की जमाबन्दियों के अंकन देखे जावेगें। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि दोनों दावो को समेकित करते हुये निर्णय पारित किया है। अतः दो अपीले करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2009 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी रैस्पो0 संवत 2009 तक एक बैल का गैर मौरूसी है तथा बाद की जमाबन्दी संवत 2012 में उसे 1/2 बैल का किया गया है। परन्तु नकल जमाबन्दी संवत 2012 से 2017 तक की जमाबन्दी में नोट अंकित है, जो अलग स्याई से /2 के ऊपर 1 बढाया जाना अर्थात अवैध फेरबदल होना दर्शाता है। नकल जमाबन्दी में यह अंकन/नोट तब तक सही माना जावेगा, जब तक कि इसे गलत सिद्ध नही किया जावें। अपीलाधीन प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नही है, जो इस अंकन/नोट को चुनौती देता हो। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य बाबत् तनकी संख्या 01 में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की विस्तार से विवेचना की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलाण्ट ने ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि रैस्पो0 एक बैल के गैर मौरूसी ना होकर 1/2 बैल के गैर मौरूसी थे। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। जहॉ तक अपीलाण्ट की यह आपत्ति की अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय भावनात्मक है। हम पाते हैं कि मूल जमाबन्दी संवत 2012 से 2017 की नकल जारी करते समय, जो नोट अंकित किया गया है कि " मूल जमाबन्दी के खाता संख्या 95 के कॉलम संख्या 05 मोहना कौम चमार 1 बैल के नीचे /2 दूसरी स्याही से लिया हुआ है" के क्रम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जमाबन्दी में अवैध फेरबदल होने के कारण, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में भावनात्मक शब्द अंकित किये गये हैं। परन्तु उक्त भावनात्मक शब्द प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं। क्योंकि नकल जमाबन्दी संवत 2012 से 2017 में अंकित नोट के खण्डन में अपीलाण्ट द्वारा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.03.2011 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 07.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)

07-12-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर